मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय

क्रमांकएफ 5–7/09/बी–3/दो. भोपाल दिनांक 21-12-09

प्रति,

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय,
भोपाल।

विषय:– निरंतर ड्यिूटी में कार्यरत ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को कानून व्यवस्था बनाये रखने के दौरान निःशुल्क नाश्ता एवं भोजन की दरों में वृद्धि के संबंध में।

–000–

राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक ज्ञाप क्रमांक एफ–3/87/98/बी–3/दो, दिनांक 13.10.08 के अनुक्रम में निरंतर ड्यिूटी में कार्यरत ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को कानून एंव व्यवस्था बनाये रखने के दौरान निःशुल्क नाश्ता एंव भोजन की व्यवस्था हेतु, प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तो पर जारी की जाती है :–

(1) ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को 8 घंटे की ड्यिूटी कराई जाये जिसमें समय अनुरूप एक ही **meal** (भोजन) अथवा नाश्ता उपलब्ध कराया जाये।
(2) उक्त भोजन अथवा नाश्ता का मूल्य क्रमशः रूपये 15/– अथवा रूपये 10/– अधिकतम रहेगा। सामान्य कार्य के घंटे(**working hours**) 8 घंटे ही होते है।
(3) यह व्यवस्था एक व्यक्ति के लिये अधिकतम वर्ष में पांच दिवस पर सीमित रखी जाये।

2– यह व्यय वर्ष 2009–10 में मांग संख्या 03–2055–पुलिस(9070) ग्राम रक्षा समितियां– 34 सामाग्री एंव पूर्तिया–004–राशन का मूल्य भोजन व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

44

3- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0 कमांक 347/334/ब-8/सीआर/09 दिनांक 23.3.09 के परिप्रेक्ष्य में जारी की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश ओगरे)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,गृह विभाग

पृष्ठांकन कमांक/एफ 5-7/09/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 14-12-09

प्रतिलिपिः-

1- महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर।

2- सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग ब-8 मंत्रालय भोपाल।

3- सचिव मध्य प्रदेश वित्त विभाग नियम चार मंत्रालय भोपाल।

4- मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।

5- निज सहायक मान0 मुख्यमंत्रीजी कार्यालय की और उनकी घोषणा के तारतम्य में।

6- मान0 मुख्यमंत्रीजी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की और सूचनार्थ।

7- पुलिस महानिरीक्षक (योजना) पुलिस मुख्यालय भोपाल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,गृह विभाग